प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00388/2025-2026

दिनांक 30/05/2025

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/MIR/02842/2025-2026 पत्रावली संख्या:V-47912 दिनांक:2014-2015

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **प्रभावती देवी शिक्षा समिति, ग्रा0 व पो0 बल्लीपरवा चील्ह, जिला-मिर्जापुर, उ.प्र. 231312, मिर्जापुर, 231312** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 421/2014-15 दिनांक-24/07/2014 को दिनांक-24/07/2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1600 रूपये की नवीनीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(Mangalesh Singh Paliwal)
CE003A0BE081339732064B2DA25B37C9B88B19FA
Date: 30/05/2025 1:00:57 PM, Location: Varanasi.

जारी करने का दिनांक-30/05/2025

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य है। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्तिके किसी दावे , अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।

संख्या 1487 पत्रावली सं0 V – 47912 दिनांक 25.7. 2014

सोसाइटी–रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण–पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

रजि0 सं0 421 / 2014–15

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि "प्रभावती देवी शिक्षा समिति" ग्राम व पोस्ट बल्लीपरवा(चील्ह), जिला मीरजापुर उ0प्र0 को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई0 के अधीन सम्यक रुप से रजिस्ट्रीकृत किया है। यह प्रमाण पत्र दिनांक 23–07–2019 तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक 24–07–2014 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AC 713684

[illegible]
[illegible] पत्र के [illegible]
[illegible]

कार्यालय सहायक निबंधक [illegible] वाराणसी

सत्यमेव जयते

कृते सहायक निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं [illegible]
वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AC 713685

[illegible]

[illegible] के [illegible] के [illegible]

[illegible]

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी

[illegible]

स्मृति – पत्र

1. संस्था का नाम : प्रभावती देवी शिक्षा समिति
2. संस्था का पता : ग्रा० व पो० बल्लीपरवा (चील्ह), मीरजापुर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होगें :–

1. बालक / बालिकाओं के शैक्षिक विकास के लिए हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम से नर्सरी, प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट विद्यालय और स्नातक–स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना तथा उसका निःशुल्क संचालन करना।
2. नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं का समुचित व्यवस्था करना।
3. बालिकाओं, युवतियों एवं महिलाओं के विकास एवं उत्थान के लिए सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कताई व माडलिंग, फैशन, डिजायनिंग, ब्यूटी पार्लर, खिलौना बनाना, मेंहदी, हाथ की कढ़ाई, फ्लावर मेंकिंग, गुलदस्ता डिजाइनिंग, जरदोजी, हैण्डीक्राफ्ट, एप्लीक एवं पैंच, मशीन से कढ़ाई, ज्वेलरी मेंकिंग, फैब्रिक पेंण्टिंग, ग्लास पेंण्टिंग, साफ्ट ट्वायज का निःशुल्क शिक्षण–प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
4. बालक / बालिकाओं के लिए तकनीकी, प्रबंधन, योग, कृषि, व व्यवसायिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा एवं ग्रामोद्योगिक, प्रोद्योगिक शिक्षा का निःशुल्क शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना व उसका संचालन करना।
5. विज्ञान, चिकित्सा एवं कृषि के क्षेत्र में शोध करना, गौ रक्षा, तथा चैरिटेबल स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं परिवार नियोजन, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु कल्याण हेतु कार्य करना।
6. बालक / बालिकाओं के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्टवेयर प्रशिक्षण, हिन्दी अंग्रेजी टंकण, आशुलिपि, मोबाईल की जानकारी प्रदान करना व निःशुल्क शिक्षण / प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं नये साफ्टवेयर का विकास करना तथा प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कराना।
7. निर्धन, असहाय तथा मेधावी छात्र छात्राओं को पुस्तकीय सहायता तथा छात्रवृत्ति की सुविधायें उपलब्ध कराना।
8. बेरोजगार शिक्षित एवं विकलांगों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिए निःशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।
9. सरकारी एवं बौद्धिक क्षमता के अनुरूप शारीरिक, नेत्रहीन, अस्थि विकलांग एवं मूकबधीर एवं मानसिक विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय के साथ–साथ आवश्यकतानुसार एकीकृत व्यवस्था के तहत प्रचार–प्रसार करना।
10. सरकार द्वारा चलाई जा रही कलस्टर योजना का संचालन करना।

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता.............
मिलान कर्ता.............

अनुराधा संगीता सिंह अनुपमा नरेश

11. समाज के विभिन्न वर्गो से निष्कासित तलाकशुदा, वृद्ध, विधवा निराश्रित महिलाओं, बालक/बालिकाओं के रख-रखाव एवं देख-रख निःशुल्क शिक्षण-प्रशिक्षण, पुनर्वास की व्यवस्था संबंधित कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना।

12. संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास योजना, कौशल विकास प्रशिक्षण, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ द्वारा चलाई जा रही योजना का क्रियान्वयन करना तथा पंचायत राज प्रशिक्षण कार्यक्रमों को करने में सहयोग प्रदान करना।

13. समाज में व्याप्त बिमारियों जैसे-कैंसर, एड्स, टी0बी0, पोलियों, कुपोषण, मलेरिया, हृदय एवं मधुमेय रोग, तपेदिक, कुष्ठ रोग हैपीटाइटिस बी व संक्रामक बिमारियों से बचाने हेतु प्रचार-प्रसार करना।

14. समाज कल्याण विभाग तथा केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, सिप्सा, कपार्ट, नाबार्ड, नरेगा, सिडवी, सूडा, डूडा, खेल मंत्रालय, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित बाल एवं महिला कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।

15. महिलाओं के सर्वागीण विकास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण लघु ग्राम उद्योग, गृह उद्योग की स्थापना करना एवं स्वयं सहायता समूह का गठन करना।

16. सभी प्रकार के शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था व उसका संचालन करना।

17. ग्रामोद्योग से संबंधित सभी कार्यो को करना।

18. निःशुल्क चिकित्सालयों, मेडिकल एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, पुनर्वास केन्द्र, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, नशा मुक्ति अभियान, नशा उन्मूलन व नेत्र जॉच शिविरों तथा आपरेशन शिविरों का आयोजन व एम्बुलेन्स की व्यवस्था करना।

19. हस्तशिल्प, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग से संबंधित कार्यो को करना।

20. पर्यावरण प्रदूषण एवं प्रदूषण नियंत्रण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना एवं वृक्षारोपड़ कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

21. जल संरक्षण, गंगा प्रदूषण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा गंगा प्रदूषण रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास करना, भ्रष्टाचार के प्रति लोगों मे जागरूकता पैदा करना।

22. समय--समय पर गरीब बच्चो और गरीबों को निःशुल्क भोजन करवाने का प्रयास करना ।

23. बालक/बालिकाओं के विकास एवं उत्थान हेतु गायन, नृत्य तथा अभिनय का निःशुल्क शिक्षण-प्रशिक्षण देना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

24. ग्रामीण रोजगार एवं विकास कार्य हेतु कृषि, पशुपालन, बागवानी, रेशम कीट पालन, दरी कालीन, मत्स्य पालन, कुटकुट पालन, मशरूम खेती जेस्टोफा पौधे, पुष्प, मधु मक्खी पालन, फलसंरक्षण, पिसा मसाला व विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना व पापड़ अचार बनाने का प्रशिक्षण देना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना।

25. पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना तथा उसका निःशुल्क संचालन करना ।

अनुराधा सत्य प्रतिलिपि प्रवीण संगीता सिंह
नरेश
अनुपमा
कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

5. प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों के नाम, पिता, पति का नाम, पता व्यवसाय तथा पद जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया ।

क.स.	नाम / पिता / पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	अनुराधा सिंह पत्नी श्री राणा प्रताप सिंह	ग्रा0 व पो0 बल्लीपरवा (चील्ह), मीरजापुर	अध्यक्ष	शिक्षिका
2.	सुरेश कुमार सिंह पुत्र श्री शोभनाथ सिंह	ग्रा0 व पो0 बल्लीपरवा (चील्ह), मीरजापुर	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	रणजीत सिंह पुत्र श्री रविन्द्र नाथ सिंह	ग्रा0 व पो0 बल्लीपरवा (चील्ह), मीरजापुर	प्रबंधक / सचिव	समाजसेवा
4.	अनुपमा सिंह पत्नी श्री रणजीत सिंह	ग्रा0 व पो0 बल्लीपरवा (चील्ह), मीरजापुर	कोषाध्यक्ष	शिक्षिका
5.	प्रवीण विक्रम सिंह पुत्र श्री लाल साहब सिंह	ग्रा0 व पो0 सेमराध, स0र0न0 भदोही	सदस्य	कृषि
6.	नरेश पुत्र श्री विन्देसरी	ग्रा0 मवैया थान सिंह, पो0 इटहरा, स0र0न0 भदोही	सदस्य	कृषि
7.	संगीता सिंह पत्नी श्री अनुप कुमार	ग्रा0 मवैया थान सिंह, पो0 इटहरा, स0र0न0 भदोही	सदस्य	गृहिणी

6. हम निम्नलिखित हस्ताक्षकर्ता उपर्युक्त स्मृति – पत्र एवं सलंग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजि0 अधिनियम की धारा 21 सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण कराना चाहते है।

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

अनुराधा सुरेश कुमार अनुपमा प्रवीण विक्रम सिंह नरेश संगीता सिंह

नियमावली

1. संस्था का नाम : प्रभावती देवी शिक्षा समिति
2. संस्था का पता : ग्रा0 व पो0 बल्लीपरवा (चील्ह), मीरजापुर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :–

संस्था की सदस्यता निम्नवत् होगी।

अ. **सामान्य सदस्य** : वे व्यक्ति जो संस्था को 100/– रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेंगें वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेगें।

ब. **आजीवन सदस्य** : वे व्यक्ति जो संस्था को 1000/– रू0 नगद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल अचल सम्पत्ति एक बार में देगें वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेगें।

5. **सदस्यता की समाप्ति** : निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।
   1. किसी सदस्य के मृत्यु हो जाने पर।
   2. किसी सदस्य के पागल या दिवालिया हो जाने पर।
   3. किसी सदस्य के न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
   4. किसी सदस्य के स्वयं लिखित त्याग–पत्र प्राप्त देने पर।
   5. किसी सदस्य के संस्था के विरूद्ध हानिकारक कार्य करने पर ।
   6. किसी सदस्य के निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा न करने पर ।
   7. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

6. **संस्था के अंग** : (अ) साधारण सभा
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति

7. **साधारण सभा** :

(क) **गठन** : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम नं0 चार के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

(ख) **बैठकें** : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलायी. जा सकती है।

(ग) **सूचना अवधि** : साधारण सभा की सामान्य बैठक के लिए सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

(घ) **गणपूर्ति** : साधारण सभा की सामान्य व विशेष आवश्यक बैठक की गणपूर्ति सभी सदस्यों के दो तिहाई उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

(ङ) **संस्था का वार्षिक अधिवेशन** :– संस्था का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार संस्था के कार्यालय पर हुआ करेगी।

सत्य प्रतिलिपि

अनुराधा प्रवीण विक्रम सिंह संगीता सिंह
सुरेश कुमार अनुपमा नरेश

(च) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य:–

1. संस्था के गत वर्ष के बजट एवं कार्यकलापों आदि पर विचार करना तथा आगामी वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान करना ।
2. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव करना।
3. प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव पर विचार कर उसे स्वीकृत करना ।
4. संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संसोधन एवं परिवर्तन हेतु स्वीकृत प्रदान करना ।

8. प्रबन्धकारिणी समिति :–

(क) गठन :– प्रबन्धसमिति का गठन साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक / सचिव, कोषाध्यक्ष के अलावा प्रबन्धसमिति के 3 सदस्य होगें।

(ख) बैठके :– प्रबन्धसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष आवश्यक बैठक किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

(ग) सूचना अवधि :– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सामान्य बैठक से 7 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 1 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

(घ) गणपूर्ति :– प्रबन्धसमिति की सामान्य व विशेष आवश्यक बैठक की गणपूर्ति सभी सदस्यों के दो तिहाई उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

(ङ) रिक्त स्थानों की पूर्ति :– प्रबन्धकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा साधारण सभा के सदस्यों में से किसी योग्य सदस्य का निर्वाचन शेष अवधि के लिये कर लिया जायेगा।

(च) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य एवं अधिकार:–

1. संस्था के बजट पर विचार कर उसे स्वीकृत करना।
2. संस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिये उपसमितियों का गठन करना।
3. संस्था के लिये सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं, व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों एवं वित्तीय संस्थाओं आदि से ऋण, अनुदान, दान, चन्दे आदि प्राप्त करना।
4. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, पदोन्नति करना तथा निष्कासित करना ।
5. संस्था के लिये चल अचल सम्पत्ति को प्राप्त करना ।
6. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स वाराणसी मण्डल, वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता ....

मिलान कर्ता ....

अनुराधा सुरेश कुमार अनुपमा प्रवीण विक्रम सिंह नरेश संगीता सिंह

8. कार्यकाल :— प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होगा ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः—

अध्यक्षः—

1. साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठक करने के लिये प्रबंधक/सचिव के राय से दिनांकों का अनुमोदन करना, तथा उसमें परिवर्तन करना ।
3. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

उपाध्यक्षः— अध्यक्ष के न रहने पर उनके कार्यो को देखना ।

प्रबंधक / सचिवः—

1. संस्था के लिये दान, अनुदान, चन्दे एवं सदस्यता शुल्क आदि को प्राप्त करना तथा उसके लिये यथाविधि रसीदें देना।
2. आवश्यकतानुसार सामान्य व विशेष बैठक बुलाना तथा कोरम के अभाव में बैठक स्थगित करना।
3. बैठक करने के लिये सभी सदस्यों को सूचनाएं देना तथा बैठक में की गयी कार्यवाही को लिखना।
4. संस्था से सम्बन्धित कागजात् एवं प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।
5. वैतनिक कर्मचारियों के वेतन, वेतनवृद्धि तथा अन्य देय धनराशियों आदि का भुगतान स्वीकृत करना।
6. वैतनिक कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
7. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
8. अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधत्व करना।
9. संस्था के हित में आवश्यक सुझाव व निर्देश देना ।
10. समान मत होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना।
11. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

कोषाध्यक्ष :—

1. संस्था के निधियों एवं सम्पत्तियों के लेखे को तैयार करना।
2. संस्था के आय—व्यय का हिसाब—किताब तैयार करना ।
3. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

सत्य प्रतिलिपि

अनुराधा   प्रवीण विक्रम सिंह   संगीता सिंह

सुरेश   अनुपमा

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:–

साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा।

11. संस्था का कोष :– किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था की समस्त धनराशियों को जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबंधक/सचिव व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

12. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण:–

संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्त आय–व्यय निरीक्षक द्वारा संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) कराई जायेगी।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही की उत्तरदायित्व:–

संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधक/सचिव पर होगा।

14. संस्था के अभिलेख:– संस्था के अभिलेख निम्नलिखित होगा।

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. सदस्यता रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. कैश बुक आदि

15. संस्था के विघटन:– संस्था के विघटन तथा उसके विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य–प्रतिलिपि

दिनांक.................

हस्ताक्षर...........

सत्य प्रतिलिपि

प्रतिलिपि कर्ता

मिलान कर्ता

अनुराधा   प्रवीण   संगीता सिंह

सुरेश कुमार   अनुपमा   नरेश